



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1422]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2008/आश्विन 16, 1930

No. 1422]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2008/ASVINA 16, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2008

(आय-कर)

का.आ. 2428(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजकोषीय अपवर्जन की रोकथाम हेतु अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों के विनियम के परचात् वर्ष 1989 के दिसम्बर माह के 29वें दिन यह प्रवृत्त हुआ है, जैसाकि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 1 द्वारा अपेक्षित है;

और जबकि, उक्त अभिसमय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में सं. सा.कर.वि. 101(अ), दिनांक 1 मार्च, 1990 के अनुसार अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 के खंड (क) में जापान के मामले में "सेंट्रल बैंक" और "सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले वित्तीय संस्था" के संबंध में विवरण उपलब्ध कराया गया है जिस पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में उस पर उद्भूत व्याज के संबंध में, उक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अंतर्गत कर नहीं लगाया जाएगा;

और जबकि, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 के खंड (क) का उप-खंड (ii) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का उल्लेख सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले संस्थानों में से एक के रूप में करता है;

और जबकि, भारत सरकार तथा जापान सरकार दोनों अब "जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन" को अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 के खंड (क) के उप-खंड (ii) से हटाने तथा उसमें "इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट ऑफ जापान फाइनेंस कारपोरेशन" को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत हो गई है;

अतः, अब, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में अभिसमय के अनुच्छेद 11 में पैराग्राफ 4 में खंड (क) में उप-खंड (ii) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ii) इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट ऑफ जापान फाइनेंस कारपोरेशन”।

2. इसे 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी हुआ माना जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 96/2008/फा. सं. 506/69/81-वि.क.प्र.]

नखीत मनोहर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2008

(INCOME-TAX)

S.O. 2428(E).—Whereas the Convention Between the Government of the Republic of India and the Government of Japan For the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income has come into force on the 29th day of December, 1989 after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph 1 of Article 28 of the said Convention;

And whereas, the said Convention was notified by the Central Government under Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 101(E), dated 1st March, 1990;

And whereas, clause (a) of Paragraph 4 of Article 11 of the said Convention provides the details regarding 'Central Bank' and 'financial institution wholly owned by the Government' in the case of Japan which will not be subject to tax under paragraph 3 of the said Article, in respect of interest arising to it in the other Contracting State;

And whereas, sub-clause (ii) of clause (a) of paragraph 4 of Article 11 refers to Japan Bank for International Co-operation as one of the financial

institutions wholly owned by the Government;

And whereas, both the Government of India and the Government of Japan have now agreed to omit "Japan Bank for International Co-operation" from sub-clause (ii) of clause (a) of paragraph 4 of Article 11 and substitute therein "International business unit of Japan Finance Corporation";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby directs that the following amendments shall be made in the said notification as follows :—

In the said notification, in the Annexure, in Article 11 of the Convention, in paragraph 4, in clause (a), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) International business unit of Japan Finance Corporation";

2. This shall be deemed to have taken effect from 1st October, 2008.

[Notification No. 96/2008/F. No. 506/69/81-FTD]

NAVNEET MANOHAR, Under Secy.